

13th October, 2018

The BSE Limited

Department of Corporate Services
Floor 1, New Trading Ring
Rotunda Building. P.J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001.

Scrip Code - 520057

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai 400 051.

Symbol – JTEKTINDIA; Series – EQ

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement in respect of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) Convened Meetings of the Company.

Dear Sirs,

This is to inform that pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copy of the Newspaper Advertisement in respect of the Notices of NCLT Convened Meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors, published in the following newspapers:

- i) 'Financial Express' newspaper in the English language (Delhi Edition); and
- ii) 'Jansatta' newspaper in Hindi language (Delhi edition)

You are requested to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JTEKT INDIA LIMITED

for 

Sudhir Chopra

Director (Corporate Affairs) & Company Secretary



**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
COMPANY APPLICATION CA (CAA) NO. 144(PB) OF 2018
(Under Section 230-232 of the Companies Act 2013)
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT 2013
AND**

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULES FRAMED THEREUNDER.

AND IN THE MATTER OF:

JTEKT INDIA LIMITED [CIN NO. L29113DL1984PLC018415], a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its Registered Office at UGF-6, Indra Prakash, 21 Barakhamba Road, New Delhi-110001;

PAN NO. AABCST7787C; EMAIL: investorgrievance@jtekt.co.in; WEBSITE: www.jtekt.co.in; TEL NO. 011-23311924, 23327205; TELEFAX NO. 011-23327205

AND IN THE MATTER OF:

SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN JTEKT SONA AUTOMOTIVE INDIA LIMITED AND JTEKT INDIA LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF MEETINGS

NOTICE CONVENING MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF JTEKT INDIA LIMITED

NOTICE is hereby given that pursuant to Order dated 25th September, 2018 (the "Order"), in the Company Application No. (CAA) 144 (PB) of 2018, the following meetings will be held to consider the Scheme of Amalgamation between JTEKT Sona Automotive India Limited ("Amalgamating Company") and JTEKT India Limited ("Amalgamated Company") and their respective shareholders and creditors (the "Scheme"):

- Meeting of the Equity Shareholders of the Amalgamated Company at 02:00 PM on Thursday, 15th November 2018, at the Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Bhisham Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003;
- Meeting of the Secured Creditors of the Amalgamated Company at 03:30 PM on Thursday, 15th November 2018, at the Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Bhisham Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003;
- Meeting of the Unsecured Creditors of the Amalgamated Company at 04:30 PM on Thursday, 15th November 2018, at the Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Bhisham Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003

In pursuance of the said Order, further notice is hereby given that the meetings as stated above and directed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench at New Delhi shall be held at the time, day, date and venue as set out hereinabove.

Further, this notice shall also be construed as a notice given to the public shareholders of the Amalgamated Company under circular no. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017 issued by Securities and Exchange Board of India.

Copy of the Scheme and the statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 can be had free of charge at the Registered Office of the Amalgamated Company or from the office of its Advocate, M/s Shardul Amarchand Mangaldas & Co. at Amarchand Towers, 216, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020.

Persons entitled to attend and vote at the respective Meeting, may vote in person or by proxy; provided that the proxy in the prescribed form is deposited at the Registered Office of the Amalgamated Company, not later than 48 hours before the respective Meeting.

Form of proxy can also be had at the Registered Office of the Amalgamated Company.

The National Company Law Tribunal, Principal Bench at New Delhi, has appointed Ms. Suruchi Aggarwal, Advocate as the Chairperson and Mr. Vishal Aggarwal, Advocate as the Alternate Chairperson for the said meetings.

The above mentioned Scheme, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval by the National Company Law Tribunal, Principal Bench at New Delhi.

The Amalgamated Company has on 13th October, 2018 completed the dispatch of the Notice along with the Explanatory Statement under Section 102 read with Section 230 of the Act through (a) electronic mail to the Equity Shareholders whose e-mail ID's are registered in the Depository records and (b) dispatch of the same in physical mode to other Equity Shareholders (i.e. whose email ID's are not registered) to all the Equity Shareholders of the Company whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on 28th September, 2018 ("Cut Off Date").

The Amalgamated Company on 13th October, 2018 completed the dispatch of the notices to the Secured Creditors and Unsecured Creditors.

In compliance with the provisions of Section 230, Sections 108 and Section 110 of the Act read with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable Secretarial Standards, the Amalgamated Company has also provided the facility to the Equity Shareholders to cast their votes either by way of postal ballot or through remote e-voting facility as managed by Karvy Computershare Pvt. Ltd., prior to the Meeting.

The Secured Creditors and Unsecured Creditors have also been provided the facility to cast their vote by way of postal ballot.

The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their equity shareholding in the Company held as on the close of business of Cut-off Date. Only those Secured Creditors and Unsecured Creditors as on 31st August 2018 shall be entitled to avail the facility of postal ballot and voting at the respective meetings.

Only those Equity Shareholders whose names are appearing in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut Off Date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as postal ballot and voting at the said Meeting.

Equity Shareholders can opt only for one mode of voting. If the Equity Shareholders have opted for remote e-voting, then they shall not vote by postal ballot and vice-versa. However, in case Equity Shareholders cast their vote both through postal ballot and remote e-voting, then voting through remote e-voting shall prevail and voting done by postal ballot shall be treated as invalid.

It is clarified that votes may be cast by Equity Shareholders either by postal ballot or remote e-voting and casting of votes by postal ballot or remote e-voting, as the case may be does not disentitle them from attending the Meeting. However, Equity Shareholders after exercising their right to vote through postal ballot or remote e-voting, as the case may be shall not be allowed to vote again at the Meeting.

Secured Creditors and Unsecured Creditors can opt only for one mode of voting. It is clarified that casting of votes by postal ballot does not dis-entitle Secured Creditors or Unsecured Creditor from attending the respective meeting. However, Secured Creditors or Unsecured Creditors after exercising their right to vote through postal ballot, shall not be allowed to vote again at the meeting.

The voting process through postal ballot form shall commence from 09:00 A.M. on 13th October, 2018 till 5:00 P.M. (Server Time) on 11th November 2018. The voting process through e-voting shall commence from 09:00 A.M. (Server Time) on 16th October, 2018 till 5:00 P.M. (Server Time) on 14th November 2018. Thereafter the remote e-voting facility shall be disabled. The remote e-voting facility provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd. is available to the Equity Shareholders at the link <https://evoting.karvy.com> which would enable the Equity Shareholders to cast their votes electronically, instead of dispatching postal ballot form. Once the vote on the resolution is cast by the Equity Shareholders by remote e-voting, they shall not be allowed to change it subsequently.

Equity Shareholders, Secured Creditors or Unsecured Creditors who have not received the Notice of the Meeting or postal ballot form or wish to receive the same physically may apply to the Company Secretary of the Company. The Notice along with the Explanatory Statement and postal ballot form is also available on the Company's website at www.jtekt.co.in and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. at <https://evoting.karvy.com>.

Equity Shareholders, Secured Creditors or Unsecured Creditors desiring to exercise vote by way of postal ballot are requested to note that the duly signed and filled postal ballot form indicating their assent or dissent, as the case may be should reach to the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. on 11th November 2018. Postal ballot form received after this date and time, will be strictly treated as if the reply from such Equity Shareholder(s) has not been received.

As directed by the Tribunal, Mr. Gurdev Bassi, shall act as Scrutinizer to scrutinize votes cast either electronically or on postal ballot form or on Poll at the Meetings and submit a report on votes cast to the Chairperson of the Meeting.

The result of the voting shall be announced by the Chairperson within the time period as so directed by the Tribunal in the Order and same shall be displayed on the website of the Company at www.jtekt.co.in and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. at <https://evoting.karvy.com>.

In case of any query or grievances connected with the voting by postal ballot or remote e-voting, Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors may send their grievances or queries to Mr. Sudhir Chopra, at the registered office address at UGF-6, Indra Prakash, 21 Barakhamba Road, New Delhi-110001 or email id: investorgrievance@jtekt.co.in or call on Ph. 011-23311924, 23327205.

In case of any query pertaining to remote e-voting, please visit Help & FAQ's section available on <https://evoting.karvy.com>

Dated this 13th day of October, 2018

Place : New Delhi

Sd/-
(Chairperson)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) सं. 144 (पीबी) वर्ष 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अधीन)
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा

निम्न के विषय में :

कम्पनी अधिनियम की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित तदधीन विरचित नियम

तथा निम्न के विषय में :

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (CIN NO. L29113DL1984PLC018415), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है ;

पैन नंबर : AABCS7787C ; ई-मेल : investorgrievance@jitekt.co.in;

वेबसाइट : www.jitekt.co.in ; फोन नंबर : 011-23311924, 23327205

टेलीफैक्स नंबर : 011-23327205

तथा निम्न के विषय में :

जेटेक्ट सोना ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड तथा जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम

बैठकों की सूचना का विज्ञापन

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत क्रेडिटर्स तथा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठकों के आयोजन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी आवेदन सं. (सीएए) 144 (पीबी) वर्ष 2018 में आदेश दिनांकित 25 सितम्बर, 2018 ("आदेश") के अनुसरण में जेटेक्ट सोना ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड ("समामेलनकारी कम्पनी") तथा जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ("समामेलित कम्पनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ("स्कीम") पर विचार करने के लिए निम्नलिखित बैठकें आयोजित की जाएंगी :

क. समामेलित कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2018 को अप. 02.00 बजे श्री सत्य साई इंटरनैशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में ;

ख. समामेलित कम्पनी के प्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2018 को अप. 03.30 बजे श्री सत्य साई इंटरनैशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में ;

ग. समामेलित कम्पनी के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2018 को अप. 04.30 बजे श्री सत्य साई इंटरनैशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में ;

उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित उपरिवर्णित बैठकें यहां ऊपर वर्णित समय, दिन, तिथि और स्थान पर आयोजित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, यह सूचना समामेलित कम्पनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/ 2017/21 दिनांकित 10 मार्च, 2017 के अधीन दी गई सूचना भी मानी जाएगी।

उक्त स्कीम और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन विवरण की प्रतियां समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा इसके अधिवक्ता मैसर्स शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐण्ड कम्पनी के अमरचंद टावर्स, 216, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-1, नई दिल्ली - 110020 स्थित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

संबंधित बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी निर्धारित फार्म में समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में संबंधित बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

परोक्षी का फार्म समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने सुश्री सुरुचि अग्रवाल, अधिवक्ता को उक्त बैठकों का अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री विशाल अग्रवाल, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

उपरिवर्णित स्कीम यदि संबंधित बैठक में अनुमोदित की जाती है, राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

समामेलनकारी कम्पनी कम्पनी के उन सभी इक्विटी शेयरधारकों, जिनके नाम 28 सितम्बर, 2018 ("कट ऑफ डेट") को सदस्यों/लामार्थी स्वामियों की पंजिका में मौजूद हैं, को सूचना तथा अधिनियम की धारा 102 के साथ पठित धारा 230 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण का प्रेषण (क) जिन इक्विटी शेयरधारकों की ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी रिकार्ड में पंजीबद्ध है, उनको इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा तथा (ख) अन्य इक्विटी शेयरधारकों (अर्थात् जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी रिकार्ड में पंजीबद्ध नहीं है) को भौतिक विधि द्वारा 28 सितम्बर, 2018 को पूर्ण कर चुकी है।

समामेलित कम्पनी प्रतिभूत क्रेडिटर्स एवं अप्रतिभूत क्रेडिटर्स को सूचना का प्रेषण 13 अक्टूबर, 2018 को पूर्ण कर चुकी है।

अधिनियम की धारा 230, धारा 108 तथा धारा 110 के प्रावधानों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन हेतु, समामेलित कम्पनी इक्विटी शेयरधारकों को बैठक से पूर्व अपना वोट डाक मतदान द्वारा अथवा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधितानुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डालने की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

प्रतिभूत क्रेडिटर्स एवं अप्रतिभूत क्रेडिटर्स को भी अपना वोट डाक मतदान द्वारा डालने की सुविधा प्रदान की गई है।

इक्विटी शेयरधारकों का वोटिंग का अधिकार कट ऑफ डेट को कार्य समाप्ति के समय कम्पनी में उनके इक्विटी शेयरधारण के अनुपात में होगा। केवल 31 अगस्त, 2018 के अनुसार प्रतिभूत क्रेडिटर्स एवं अप्रतिभूत क्रेडिटर्स डाक मतदान तथा संबंधित बैठकों में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

केवल वे इक्विटी शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग तथा उक्त बैठक में डाक मतदान तथा वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिनके नाम कट ऑफ डेट को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों की पंजिका अथवा सदस्यों की पंजिका में दर्ज मौजूद होंगे।

इक्विटी शेयरधारक केवल एक विधि द्वारा वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यदि इक्विटी शेयरधारक ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प चुना है, तो वे डाक मतदान द्वारा और इसके विपरीत क्रम में मतदान नहीं कर सकेंगे। तथापि, यदि इक्विटी शेयरधारकों ने अपना वोट डाक मतदान और रिमोट ई-वोटिंग दोनों विधियों से डाला है तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाला गया वोट वैध माना जाएगा तथा डाक मतदान द्वारा डाला गया वोट अवैध माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इक्विटी शेयरधारक डाक मतदान अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा डाक मतदान, जैसी भी स्थिति है, द्वारा वोट डालने से, इक्विटी शेयरधारकों का संबंधित बैठकों में भाग लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तथापि, इक्विटी शेयरधारक को डाक मतदान अथवा रिमोट ई-वोटिंग, जैसी भी स्थिति है, द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिभूत क्रेडिटर्स एवं अप्रतिभूत क्रेडिटर्स केवल एक विधि द्वारा वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि डाक मतदान द्वारा वोट डालने से, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूत क्रेडिटर्स अथवा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स का संबंधित बैठकों में भाग लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तथापि, प्रतिभूत क्रेडिटर्स अथवा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स को डाक मतदान द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

डाक द्वारा मतदान 13 अक्टूबर, 2018 को पूर्वा. 09.00 बजे (सर्वर टाइम) आरंभ होगा तथा 11 नवम्बर, 2018 को अप. 05.00 बजे (सर्वर टाइम) समाप्त होगा। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान 16 अक्टूबर, 2018 को पूर्वा. 09.00 बजे (सर्वर टाइम) आरंभ होगा तथा 14 नवम्बर, 2018 को अप. 05.00 बजे (सर्वर टाइम) समाप्त होगा। तदुपरांत रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी। कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग इक्विटी शेयरधारकों के लिए लिंक <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है, जो इक्विटी शेयरधारकों को अपना वोट डाक मत पत्र के रूप में भेजने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने हेतु सक्षम बनाएगी।

इक्विटी शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाले जाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

इक्विटी शेयरधारक, प्रतिभूत क्रेडिटर्स अथवा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स, जिनको बैठक की सूचना अथवा डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा उसको भौतिक रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं कम्पनी के कम्पनी सेक्रेटरी को आवेदन कर सकते हैं। सूचना, व्याख्यात्मक विवरण तथा डाक मतपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.jitekt.co.in पर तथा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

डाक मतदान द्वारा वोट डालने के इच्छुक इक्विटी शेयरधारक, प्रतिभूत क्रेडिटर्स अथवा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स से यह नोट करने का अनुरोध है कि उनकी सहमति अथवा असहमति, जैसी भी स्थिति है, दर्शक विधिवत हस्ताक्षरित एवं भरा गया डाक मतपत्र संवीक्षक के पास 11 नवम्बर, 2018 को अप. 05.00 बजे अधिकतम तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र, सख्ती के साथ इस प्रकार व्यवहृत किए जाएंगे, मानो कि ऐसे इक्विटी शेयरधारक (कों) से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जैसाकि न्यायाधिकरण द्वारा निदेशित किया गया है, श्री गुरदेव बस्सी, संबंधित बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक विधि अथवा डाक मतपत्र द्वारा मतदान अथवा बैठकों में मतपत्र द्वारा मतदान की संवीक्षा के लिए संवीक्षक का कार्य करेंगे तथा डाले गए वोटों के संबंध में अपनी रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को सौंपेंगे।

अध्यक्ष द्वारा वोटिंग के परिणाम की घोषणा न्यायाधिकरण द्वारा आदेश में निदेशित समयावधि के भीतर की जाएगी तथा उसको कम्पनी की वेबसाइट www.jitekt.co.in पर तथा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

डाक मतपत्र अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी शिकायत की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक, प्रतिभूत क्रेडिटर्स और अप्रतिभूत क्रेडिटर्स अपनी शिकायत अथवा पूछताछ श्री सुधीर चोपड़ा को पंजीकृत कार्यालय यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल आईडी : investorgrievance@jitekt.co.in पर भेज सकते हैं अथवा फोन : 011-23311924, 23327205 पर कॉल कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ के लिए, कृपया <https://evoting.karvy.com> पर Help - FAQ's सेक्शन देखें।

दिनांकित 13 अक्टूबर, 2018

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./—

(अध्यक्ष)